O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 2696
Date 30 SEP 2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, में अपीलीय अधिकारी श्री के.के.भौरासे, महाप्रबंधक (मा.सं.)

(अपील प्र.क. 04/2022 दिनांक 18.08.2022)

क्रमांक :— 01—01/अ.प्र.क./04/2022/1331 रायपुर, दिनांक 29/09/2022

श्री सौरभ कुमार अपीलार्थी
भिलाई

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—
(दिनांक 29/09/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री सौरभ कुमार ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो, के निर्णय दिनांक 05.08.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज ।	कनिष्ठ अभियंता, ब्रांच (इलेक्ट्रीकल) भर्ती परीक्षा के संबंध में निम्न जानकारी :— (1) इस परीक्षा में मेरे कुल प्राप्त अंक बताया जाए (नॉर्मालाइजेशन के बाद) (2) इस परीक्षा का कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स। (3) परीक्षा परिणाम में दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों के अंक बताया जाए।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :—	जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। क्योकि मेरी मांगी गई सूचना प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। अतः मुझे चाही गयी जानकारी उपलब्ध करायी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		15.09.2022	अपीलार्थी अनुपस्थित। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		27.09.2022	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित। दोनों के तर्क कथन सुने गए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।

(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :–		जनसूचना अधिकारी का तर्क/कथन कि अपीलार्थी को चाही गयी जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 369 दिनांक 05.08.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) पद पर भर्ती वर्तमान में प्रकियाधीन है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। तथापि उक्त भर्ती प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् आपके द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर आपको सूचनाधिकार में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जानकारी/दस्तावेज़ प्रदान किए जा सकेंगे। यह कि तत्कालीन समयावधि में कनिष्ठ अभियंता पद पर भर्ती प्रकियाधीन थी। अतएव अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है। चूंकि वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता पद पर भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अतः भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारियॉ पॉवर कंपनी के वेबसाइड WWW,CSPCL पर भी उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु 01 एवं 02 की जानकारी पॉवर कंपनी के वेबसाइड पर उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी उक्त जानकारी वेबसाइड से प्राप्त कर सकते है। सूचनाधिकार के अंतर्गत सूचना जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है, की मांग इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं की जानी है। बिन्दु 03 की जानकारी परव्यक्ति से संबंधित है, जिसे धारा 8(1)(J) के अंतर्गत देने की बाध्यता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 10044/2010 अन्य विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 **CPIO, Supreme Court Of India V. Subhash Chandra Agarwal** के प्रकरण में यह लेख किया गया है कि **Reading of the aforesaid judicial precedents, in our opinion, would indicate that personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, are personal information,** यहॉ यह भी लेख है कि माननीय छ.ग. राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील प्र.क. A/431/2020 आदेश दिनांक 27.05.2022 में श्री योगेन्द्र पाल सिंह द्वारा चाही गयी सहायक प्रबंधक (एच.आर.) भर्ती में साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों का परीक्षा का अंक तथा साक्षात्कार के अंक की जानकारी को धारा 8(1)(ञ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लोकहित में नहीं होने से जानकारी नहीं दी गई है। तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है को उचित व अधिनियम के प्रावधानुसार मानते हुये द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया गया है।

			अतएव उक्त निर्णय के दृष्टिगत जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह विधि संगत है।

सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गयी है। कनिष्ठ अभियंता की भर्ती कार्यवाही तत्कालीन समयावधि में प्रकियाधीन थी। अतएव भर्ती कार्यवाही की गोपनीयता के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी है वह विधिसंगत है। यद्यपि कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती वर्तमान में पूर्ण हो चुकी है। अतः अपीलार्थी बिन्दु 01 एवं 02 की जानकारी पॉवर कंपनी के वेबसाइड से प्राप्त कर सकते है। क्योकि सूचनाधिकार के अंतर्गत सूचना जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है, की मांग इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं की जानी है।

जहॉ तक बिन्दु 03 का प्रश्न है चाही गयी जानकारी परव्यक्ति से संबंधित है। अतः धारा 8(1)(j) के अंतर्गत जानकारी देने की बाध्यता नहीं है। उक्त भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों के अंक को किसी तृतीय पक्ष को बताया जाना उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नही है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 10044/2010 अन्य विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 एवं माननीय छ.ग. राज्य सूचना आयोग के अपील प्र.क. A/431/2020 आदेश दिनांक 27.05.2022 के दृष्टिगत परव्यक्ति से संबंधित जानकारी को प्रकट किया जाना संभव नहीं है।

उल्लेखित तालिका (IV) में जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये तर्क स्वीकार योग्य है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। तदनुसार अपील प्रकरण कमांक 04/2022 दिनांक 18.08.2022 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

29.9.22

(के.के.भौरासे)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक-- 0771-2574700

प्रतिलिपि :-(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) श्री सौरभ कुमार, LIG-2664, हाउसिंग बोर्ड, इंडस्ट्रियल इस्टेट, भिलाई, जिला – दुर्ग (छ.ग.) पिन – 490026 को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर